रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-23012024-251560
CG-TL-E-23012024-251560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 23, 2024/माघ 3, 1945
No. 53] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23, 2024/MAGHA 3, 1945

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 22 जनवरी, 2024

फा. सं.भाबीविविप्रा/ साधारण बीमा/प्रशुल्क /1/195/2024.– बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग, कामगार प्रतिकर और बीमा व्यवसाय के अन्य वर्गों के अंतर्गत सभी प्रशुल्क उत्पादों में विवाचन खंड की अधिसूचना को निरस्त करता है।

1. वर्ष 2006 में, प्रशुल्क सलाहकार समिति द्वारा प्रशुल्कों के प्रत्याहरण के अनुसरण में, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ("प्राधिकरण") आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अंतर्गत अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संदर्भ 034/आईआरडीए/डी-टैरिफ/दिसंबर-06 दिनांक 4 दिसंबर 2006 जारी की, जिसमें यह अधिसूचित किया गया कि व्यवसाय के कुछ वर्गों जैसे अग्नि, इंजीनियरिंग, मोटर, कामगार प्रतिकर तथा बीमाओं के अन्य वर्गों के लिए लागू प्रशुल्क (टैरिफ) संबंधी सामान्य विनियम (रेटिंग से संबंधित को छोड़कर अन्य), शर्तें, निबंधन, खंड, वारंटियाँ, पालिसी और पृष्ठांकन शब्दावली/ वाक्यरचना जो उस समय प्रशुल्कों के अधीन थीं, का पालन करना अगले आदेशों तक जारी रहेगा।

2. अब बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण के पास निहित शक्तियों के आधार पर प्राधिकरण इसके द्वारा अधिसूचित करता है कि पूर्व के प्रशुल्कों के द्वारा नियंत्रित बीमा व्यवसाय के जोखिमों के लिए लागू प्रशुल्क संबंधी सामान्य विनियमों, शर्तों, निबंधनों, खंडों, वारंटियों, पालिसी, ऐड-आनों,

पृष्ठांकन संबंधी शब्दावली/वाक्यरचना और प्रस्ताव फार्म में विवाचन खंड संबंधी उपबंधों की अधिसूचना 27 अक्तूबर 2023 से प्रभावी रूप में निरस्त की गई है।

3. तदनुसार, इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 27 अक्तूबर 2023 से विवाचन खंड के संबंध में बीमा जोखिम संविदाओं के उल्लेख से युक्त उपबंध प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र के अधीन होगा।

देबाशीष पण्डा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./707/2023-24]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, 22nd January, 2024

F. No. IRDAI/Gen Insurance/Tariff/1/195/2024.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 64 ULA of the Insurance Act, 1938, the Authority hereby de-notifies the Arbitration clause in all tariff products under Fire, Motor and Engineering, Workmen’s Compensation and other classes of insurance business.

1. In the year 2006, pursuant to the withdrawal of tariffs by the Tariff Advisory Committee, the Insurance Regulatory and Development Authority of India (“Authority”) in exercise of powers vested in it under clause (i) of sub section (2) of Section 14 of the IRDA Act, 1999, issued notification Ref.034/IRDA/De-Tariff/Dec-06 dated 4th December, 2006, wherein it was notified that the tariff general regulations (other than those relating to rating), terms, conditions, clauses, warranties, policy and endorsement wordings applicable to certain classes of business such as Fire, Engineering, Motor, Workmen’s Compensation and other classes of insurances which were then under tariffs shall continue to be followed until further orders.

2. Now, by virtue of powers vested with the Authority under sub section (1) of Section 64 ULA of the Insurance Act,1938 the Authority hereby notifies that the Arbitration clause related provisions in the tariff general regulations, terms, conditions, clauses, warranties, policy, add-ons, endorsement wordings and proposal form applicable to the risks of insurance business governed by the erstwhile Tariffs stand de-notified with effect from 27^{th} October, 2023.

3. Accordingly, it is hereby notified that with effect from 27^{th} October, 2023, insurance risks contracts mentioned provision regarding Arbitration clause shall be subject to the circular issued in this regard by the Authority and amended from time to time.

DEBASISH PANDA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./707/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.23 20:44:27 +05'30'